an>

Title: Need to provide immediate help to the dependents of deceased Government Employee.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं जिस विषय को रखने जा रही हूँ, पहले मैं उसे एक संवेदना का विषय मानती थी और मेरे जैसे कई लोग भी ऐसा ही मानते थे कि यह बड़ी संवेदनशीलता का विषय है। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान धीरे-धीरे ऐसे विषय जब मेरे सामने आये, तो मुझे लगा कि यह विषय आवश्यकता का अधिक है और संवेदना का कम है।

यह मृतक आश्रितों की समस्याओं का विषय है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से इस विषय को रखने जा रही हूँ। जब एक भरे-पूरे परिवार में सरकारी सेवा में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से या किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार का व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करता है। ऐसे कई विषय आये। उसमें से कई विषय लंबित होते हैं। यों तो हमारी सरकार ने अच्छा काम करते हुए कई पुराने प्रकरणों को शीघ्र निपटाने का प्रयास किया है। किन्तु आज मैं इस सदन के माध्यम से केवल इतना चाहती हूँ कि ऐसे प्रकरणों के जो तय मानक हैं, उनको थोड़ा-सा सरल बनाया जाए। उसको जटिल न बनाया जाए। जो मृतक आश्रित परिवार के सदस्यों को लम्बा इंतजार करना पड़ता है, उनको कम इंतजार करना पड़े और वह परिवार सरल ढंग से आगे बढ़ पाए। हमारी सरकार ने आम जन को सहायता देने के लिए, लाभ देने के लिए एक योजना तैयार की है। इसलिए आज मैं इस विषय को यहां लाकर यही संदेश देना चाहती हूं कि इस पर भी हमारी सरकार संवेदनशीलता से ध्यान दे।

माननीय अध्यक्ष :

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री रोड़मल नागर,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं

श्री शरद त्रिपाठी को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।